

Annexure - IV ①

संग्रह: माह न्यायालय सदस्य वादीय कर आवे करण, पीठ-1, गुवाहाटी

अपील सं०

१९/१३

वर्ष - २०१५-१६

राज्यीय

सदस्य: सर्वजी कुनाल ट्रेडर्स,

२५, रामबाग कालोनी,

गोविंदपुरम, गाजिपाबाद।

फोन - ०९१८८८२७१७५

विषय: अपील की शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अपीलकर्ता निवेदन करता है कि अपीलकर्ता उक्त आपसे लगभग अपील संख्या

की जमा है जिसका विवरण कए रु ६५८३५०३०० है जो

वर्ष - २०१५-१६ से सम्बंधित है यदि उक्त अपील कर

से सम्बंधित है तथा कर (कर वर्ष २०११) में लगाने से

अपीलकर्ता अपने दायित्व को पूर्ण करना चाहता है तथा

अपने कर्तव्यों को निर्वह करना चाहता है इसलिए अपील

की सुनवाई राहमात्र आवश्यक है।

संदर्भ: २१/०२/२०२३

२१/०२/२०२३

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि अपील की सुनवाई हेतु विवेक विमत करने की कृपा करें।

धन्यवाद

दि २१/०२/२३

सर्वजी कुनाल ट्रेडर्स  
राज्यीय

श्री अशोक गज

संख्या ४० श्री दिनांक २१-२-२३

१- यह कि वाद दिनांक २१-२-२३  
 के दिनांक को गिना है।  
 यह कि अधिवक्ता, अधिवक्ता  
 श्री अशोक गज और वादिका  
 को गिना गया है।  
 यह कि अधिवक्ता अशोक गज  
 को गिना गया है।  
 यह कि वाद खंड को से प्रमाण  
 है जो कि दिनांक २१-२-२३ को  
 गिना गया है।

आदेश पर

२१-२-२३

Prasad.

Grounds stated for early fixation  
 are not sufficient. Impressed Tribunal  
 has remanded the matter and  
 the present appeal is of 2023  
 and in fact is just filed today  
 at this moment at ~~2.05 PM~~ 2.05 PM.  
 The prayer for early fixation is  
 untenable and therefore is hereby  
 rejected in limine.

Prasad  
21/02/2023

Annexure-IV (2)

संगम: भा. न्यायालय सहाय्य वाणिज्य घर, माधिकरवा, 211094

अपील सं.

वर्ष - 2014-15

सचिवी कुमाल डैडर्स,

जान्सी

24, रामबाग कालोनी,

गोविंदपुरम, गाजिबाद,

फोन - 0988827175

विषय: अपील की सुनवाई शीघ्र करने हेतु प्रार्थना पत्र

महोदय

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अपीलकर्ता निवेदन करता है कि अपीलकर्ता द्वारा आपसे भ्रमण अपील दाखिल की गयी है जो वर्ष - 2014-15 के सम्बन्धित है। तब विवादिता रोजी क्र 6583587/- है। अपीलकर्ता द्वारा दाखिल की गयी अपील एवं आवेदनपत्र के सम्बन्धित है जिसका

नेताला शीघ्र वसला वला आवश्यक है

अतः महोदय के निवेदन है कि अपील की सुनवाई वला हेतु विवेक विमल वला से अपीलकर्ता के-पुनः

प्रार्थना

सचिवी कुमाल डैडर्स  
(संगम सुभाष वरुण)  
अपील

दि 21/11/14

की अपील की है।

DLB88

Allowed  
21/11/14



## Annexure-IV (3)

समक्ष :: वाणिज्य कर अधिकरण, गाजियाबाद पीठ-प्रथम (खण्डपीठ) गाजियाबाद।

उपस्थित :: श्री अरविन्द मलिक, एच0जे0एस0

अध्यक्ष।

:: श्री ओ0पी0 सिंह,

सदस्य।

द्वितीय अपील सं0-29/2023 (2014-15) प्रान्तीय वेट अधिनियम की धारा-28(2)

सर्वश्री कुनाल ट्रेडर्स, शॉप नम्बर-24 रामबाग कालोनी गोविन्दपुरम्, गाजियाबाद।

अपीलार्थी।

बनाम

कमिश्नर

वाणिज्य

कर

उ0प्र0।

प्रत्यर्थी।

अपीलार्थी की ओर से :: श्री संजय कुमार वर्मा :: अधिवक्ता।

विभाग की ओर से :: श्री संजय कुमार आर्य :: उपायुक्त राज्य कर/रा0प्र0।

--: निर्णय :-

श्री ओ0पी0 सिंह, सदस्य।

अपीलार्थी व्यापारी द्वारा यह द्वितीय अपील श्री आनन्द कुमार सिंह, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (अपील), तृतीय, वाणिज्य कर, गाजियाबाद द्वारा प्रथम अपील संख्या-0036/2023 (2014-15) प्रान्तीय वेट अधिनियम की धारा-28(2) के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 17-02-2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए कतिपय निर्देशों के क्रम में वाद पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को गुण दोष पर सुनवाई किये जाने हेतु पूर्ण कोर्टफीश जमा करते हुए इस अपील में विवादित धनराशि रू0 65,83,583.00 मानी गयी है।

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म सीमेन्ट, रिवर सैण्ड एण्ड ग्रेट, पलाई एश आदि की खरीद एवं बिक्री के लिए विभाग में पंजीकृत है। कर निर्धारण वाद की सुनवाई के समय दाखिल विवरणों की जाँच पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा सर्वश्री एस0पी0 एण्टरप्राइजेज, सर्वश्री हनी एण्टरप्राइजेज, सर्वश्री राहुल ट्रेडर्स, सर्वश्री राम बिल्डिंग मैटीरियल, सर्वश्री अरनव आयरन एण्ड स्टील, सर्वश्री प्रियंका एण्टरप्राइजेज एवं सर्वश्री तुलसी सेल्स कार्पोरेशन फर्मों से की गयी खरीद पर क्लेम की गयी आई0टी0सी0 रू0 32,91,791.00 का दावा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि की आई0टी0सी0 के दावे को अस्वीकार करते हुए आर0आई0टी0सी0 की गयी। इसी के आधार पर रिवर सैण्ड एवं ग्रेट की टैक्स इन्वाइस से घोषित रू0 62509420.00 की खरीद को असत्यापित एवं अपंजीकृत से खरीद निर्धारित करते हुए इस पर 05 प्रतिशत की दर से रू0 31,25,471.00 एवं सीमेन्ट की टैक्स इन्वाइस से घोषित रू0 10,73,039.00 की खरीद को असत्यापित एवं अपंजीकृत से खरीद निर्धारित हुए इस पर 15.5 प्रतिशत की दर से रू0 1,66,321.00 कुल रू0 63582459.00 की टैक्स इन्वाइस के माध्यम से घोषित खरीद को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापन के अभाव में अपंजीकृत से खरीद मानते हुए कुल रू0 32,91,792.00 कम कर आरोपित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी व्यापारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध होकर कुल रू0 65,83,583.00 की धनराशि को विवादित मानते हुए प्रथम अपील योजित की गयी। विद्वान प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपील को स्वीकार करते हुए कतिपय निर्देशों के क्रम में वाद को पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया। इसी अपीलीय निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यापारी द्वारा प्ररनगत द्वितीय अपील योजित की गयी है।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बहस के समय प्रस्तुत लिखित तर्क में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा संगत वर्ष 2014-15 में समस्त खरीद टैक्स इन्वाइस के माध्यम से पंजीकृत व्यापारियों से की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर अवगत कराया गया कि अपीलार्थी व्यापारी द्वारा जिन उपरोक्त विक्रेता फर्मों से खरीद घोषित की गयी है, उक्त फर्म ऑनलाइन परीक्षण पर निरस्त पायी गयी हैं। उक्त के सम्बन्ध में अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत लिखित स्पष्टीकरण में कथन किया गया कि उक्त विक्रेता व्यापारियों के ऑनलाइन पंजीयन स्टेटस देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यापारी द्वारा विक्रेता फर्म सर्वश्री एस0पी0 एण्टरप्राइजेज से समस्त खरीदें माह मई-2014 में की गयी हैं जबकि उक्त विक्रेता व्यापारी का पंजीयन दिनांक 28-12-2014 को विभाग द्वारा निरस्त किया गया है तथा दिनांक 13-01-2015 को पुनः बहाल कर दिया गया है। इसी प्रकार अपीलार्थी व्यापारी द्वारा सर्वश्री हनी एण्टरप्राइजेज से भी समस्त खरीदें माह मई-2014 में की गयी हैं जबकि उक्त विक्रेता व्यापारी का पंजीयन दिनांक 13-01-2015 को विभाग द्वारा निरस्त किया गया है। अपीलार्थी व्यापारी की ओर से सर्वश्री राहुल ट्रेडर्स विभाग में दिनांक 01-03-2014 से पंजीकृत है। उक्त विक्रेता फर्म का पंजीयन दिनांक

द्वितीय अपील सं०-29/2023 (2014-15) प्रान्तीय

-5-

प्रदेश, लखनऊ बनाम संजय स्टील सप्लायर्स (2015)-28 वी०एल०जे० 276 निर्णय दिनोंक 17-07-2015 के मामले में यह व्यवस्था दी है कि यदि खरीद किये जाते समय विक्रेता व्यापारी पंजीकृत है तथा समस्त भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया हो और नियमानुसार टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये गये हों तो इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यापारी को अनुमन्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं अधिकरण की पीठों द्वारा दिये गये निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि खरीद की अवधि में यदि विक्रेता व्यापारी पंजीकृत रहा है तथा भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है तब ऐसी स्थिति में कोई आर०आई०टी०सी० नहीं की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के निर्णय (2018)-56 जी०एस०टी० आर०-177 (दिल्ली) क्वेस्ट मर्चेन्डाईजिंग इण्डिया प्रा०लि० बनाम गवर्नमेन्ट ऑफ एन०सी०टी० ऑफ डेहली एण्ड अदर्स तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद निम्न निर्णयों में यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि विक्रेता के पंजीकृत रहने की अवधि में टैक्स इन्वाइस से की गयी खरीद तथा बैंक के माध्यम से भुगतान करने पर खरीद पर आई०टी०सी० विधिक प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगी।

उपरोक्त विवेचन, साक्ष्यों एवं तथ्यों के परिशीलन पर हमारे विचार से अपीलार्थी द्वारा उक्त विक्रेता व्यापारियों से की गई खरीदों उनके पंजीकृत रहने की अवधि के दौरान की गयी हैं तथा उनसे संबंधित समस्त भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है, नियमानुसार टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये गये हैं, जो उ०प्र० वैट अधिनियम की नियम-21 के अनुरूप पाये जाते हैं। अतः अपीलार्थी व्यापारी की लेखापुस्तकों को मान्यता प्रदान करते हुए इन खरीदों पर समस्त आई०टी० सी० रू० 32,91,791.00 का लाभ अपीलार्थी व्यापारी को अनुमन्य किया जाता है तथा अपीलार्थी व्यापारी द्वारा टैक्स इन्वाइस के माध्यम से घोषित रिवर सैण्ड, ग्रिट एवं सीमेन्ट की कुल खरीद रू० 63582459.00 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापन के अभाव में अपंजीकृत से खरीद मानते हुए उस पर आरोपित कुल रू० 32,91,792.00 का जो क्य कर आरोपित किया गया है, उपरोक्त विवेचन के दृष्टिगत उसका कोई तर्कसंगत आधार न होने के कारण, वह समाप्त किये जाने योग्य है। इसप्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए कुल विवादित कर रू० 65,83,583.00 समाप्त किये जाने योग्य है।

--: आदेश :-

अपीलार्थी व्यापारी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सं०-29/2023 (2014-15) प्रान्तीय स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थी द्वारा क्लेम की गयी आई०टी०सी० रू० 32,91,791.00 का लाभ व्यापारी को अनुमन्य किया जाता है तथा खरीद को अपंजीकृत से असत्यापित मानते हुए निर्धारित कुल क्य कर रू० 32,91,792.00 समाप्त करते हुए कुल विवादित कर रू० 65,83,583.00 समाप्त किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा यदि उक्त मद में कोई अधिक धनराशि जमा की गयी हो तो वह उसे नियमानुसार वापिस/समायोजित की जाये।

( अरविन्द मलिक )

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उ०प्र० लखनऊ कैम्प, गाजियाबाद।

दिनोंक :: गा०बाद :: 23 फरवरी, 2023.

:: सुनील शर्मा ::

( ओ०पी० सिंह )

सदस्य,

वाणिज्य कर अधिकरण,

गाजियाबाद पीठ-द्वितीय, गाजियाबाद।

Annexure - IV (5)

संक्र. नं. आ/आलय/आ सं/सं/सं, वास्ते कं, अजमेर, 01/08/2016, 01/08/2016

अपील सं.

वर्ष- 2015-16

राज्य

सदर, सर्वोच्च न्यायालय, 24, राजबाग कालोनी, गोविन्दपुरम्, गाजिपुलवा, दिन - 09188827175

विषय: अपील वीरेश सुनवर्डी व अन्यें हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अपीलकर्ता सर्वोच्च प्रार्थना करता है कि अपीलकर्ता द्वारा अपील सं. के द्वारा आवेदन संक्र. अपील वास्ते की गयी है जो वर्ष 2015-16 से सम्बंधित है जिसकी सुनवाई शीघ्र होना आवश्यक है।

Registered as court and appeal in year 2023

अतः महोदय से विनम्र अनुरोध है कि अपील की शीघ्र सुनवाई हेतु विधि निमत वाले की कृपा करें।



दि 02/02/2023 दान्यवाड़

प्रार्थी

वास्ते कुनाल डेजर्

*(Signature)*

(अभिप्रेत)



संज्ञा: सी०-याचकाय संदस्य वाचिष्य को, आधीकरा, वाचिष्य, २१/०५/१६  
अपील सं० वर्ष-२०१५-१६  
प्राचीय

सन्देश: सर्वोच्च कुनाल ड्रेडम,  
२५, रामबाग काठिनी,  
गोविंदपुरम, गान्धिमार्ग  
फोन - ०९१८८८

विषय: अपील की सुनवाई शीघ्र कराने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,  
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अपीलकर्ता विनम्र  
कहा है कि अपील सं० के अंतर्गत दाखिल की गयी है  
जो वर्ष-२०१५-१६ से सम्बन्धित है। उक्त अपील में विनाहित  
कर का है जिससे लिये रिकवरी अभीत हो अपीलकर्ता  
पर श्रम व गंभीरता का है इसलिये अपील का निष्पत्ती  
शीघ्र किया जाना आवश्यक है जो कि भावहित में है।

अतः महोदय विनम्र विनम्र है कि अपील का निष्पत्ती  
शीघ्र करने के उद्देश्य से अभीत से शीघ्र सुनवाई हेतु विनम्र  
निम्न करने की प्रार्थना है।

आभार

प्राचीय

वाचि कुनाल ड्रेडम  
अपीलकर्ता को अधीकरा

*(Signature)*

(संजय कुमार वर्मा)  
(अधीकरा)

*allo dik 03/2/23  
suk 1/2/23*



समक्ष :: वाणिज्य कर अधिकरण, गाजियाबाद पीठ-प्रथम (खण्डपीठ) गाजियाबाद।  
उपस्थित :: श्री अरविन्द मलिक, एचओओएसओ अध्यक्ष।  
:: श्री ओपीओ सिंह सदस्य।

द्वितीय अपील सं-22/2023 (2015-16) प्रान्तीय वेट अधिनियम की धारा-28(2)

सर्वश्री कुनाल ट्रेडर्स, शॉप नम्बर-24 रामबाग कालोनी गोविन्दपुरम, गाजियाबाद। अपीलार्थी।

बनाम प्रत्यर्थी।  
वाणिज्य कर उओप्रओ।  
अपीलार्थी की ओर से :: श्री संजय कुमार वर्मा :: अधिवक्ता।  
विभाग की ओर से :: श्री संजय कुमार आर्य :: उपायुक्त राज्य कर/राओप्रओ।  
-- निर्णय --



श्री ओपीओ सिंह, सदस्य।

अपीलार्थी व्यापारी द्वारा यह द्वितीय अपील श्री आनन्द कुमार सिंह, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (अपील), तृतीय वाणिज्य कर, गाजियाबाद द्वारा प्रथम अपील संख्या-0134/2019 (2015-16) प्रान्तीय वेट अधिनियम की धारा-28(2) के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 20-01-2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए कतिपय निर्देशों के कम में वाद पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को गुण दोष पर सुनवाई किये जाने हेतु पूर्ण कोर्टफीस जमा करते हुए इस अपील में विवादित धनराशि रु0 17,96,531.00 मानी गयी है।

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म सीमेन्ट, रिवर सैण्ड एण्ड ग्रेट, फ्लाई एश आदि की खरीद एवं बिक्री के लिए विभाग में पंजीकृत है। कर निर्धारण वाद की सुनवाई के समय दाखिल विवरणों की जाँच पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा सर्वश्री बनवारी लाल एण्टरप्राइजेज, सर्वश्री पूजा ट्रेडर्स एवं सर्वश्री एडीटिव्स टेक्नोलॉजीज लि0 फर्मों से की गयी खरीद पर क्लेम की गयी आईटी0सी0 रु0 817641.00 का दावा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। अतः उक्त धनराशि की आरओआई0सी0 की गयी। इसी के आधर पर रिवर सैण्ड एवं ग्रेट की अपजीकृत से खरीद मानते हुए अतिरिक्त रूप से रु0 1499.00 एवं रु0 1635282.00 की खरीद को असत्यापित मानते हुए रु0 817641.00 का अतिरिक्त रूप से कर आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त समुचित रूप से लेखा पुस्तकों प्रस्तुत न किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी द्वारा घोषित खरीद बिक्री के अतिरिक्त रु0 10 लाख की अपवंचित खरीद एवं रु0 12.50 लाख की अपवंचित बिक्री निर्धारित करते हुए अतिरिक्त रूप से कुल रु0 1,59,750.00 करारोपण की कार्यवाही की गयी, जिससे कुल रु0 17,96,531.00 विवादित कर मानते हुए अपीलार्थी व्यापारी द्वारा प्रथम अपील योजित की गयी। विद्वान प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपील को स्वीकार करते हुए कतिपय निर्देशों के कम में वाद को पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया। इसी अपीलीय निर्णय से कुल अपीलार्थी व्यापारी द्वारा प्रश्नगत द्वितीय अपील योजित की गयी है।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बहस के समय प्रस्तुत लिखित तर्कों में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत लिखित स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा सर्वश्री सिद्धेश्वर इण्जी0 इण्डिया प्रा0लि0 को कोई बिक्री नहीं की गयी है और न ही अपीलार्थी करदाता उक्त फर्म को जानता है। पूर्व में भी इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया था तथा अपीलार्थी करदाता द्वारा उक्त फर्म के खिलाफ पुलिस थाना में एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी जा चुकी है जिसकी प्रति शपथपत्र के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रति द्वितीय अपील की सुनवाई के समय भी प्रस्तुत की गयी है। अतः उक्त प्रस्तुत साक्ष्य की कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनदेखी करते हुए अपवंचित खरीद/बिक्री निर्धारित करते हुए कर आरोपित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा संगत वर्ष 2015-16 में समस्त खरीद टैक्स इन्वाइस के माध्यम से पंजीकृत व्यापारियों से की गयी है तथा खरीद के समय किसी भी व्यापारी का पंजीयन निरस्त नहीं पाया गया है जिसके साक्ष्य के रूप में पंजीयन स्टैटस की डाऊनलोड प्रति प्रस्तुत की गयी है। कथन किया गया कि व्यापारी द्वारा सर्वश्री बनवारी लाल एण्टरप्राइजेज का टिन नम्बर-09266113896 दिनांक 01-03-2016 को निरस्त किया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त विक्रेता व्यापारी से खरीद पंजीयन निरस्तीकरण की तिथि से पूर्व की गयी है। अपीलार्थी द्वारा सर्वश्री पूजा ट्रेडर्स टिन नम्बर-09667603203 का पंजीयन दिनांक 24-04-2017 को निरस्त हुआ है जो वर्ष 2017-18 से सम्बन्धित है जबकि अपीलार्थी द्वारा समस्त खरीद उक्त विक्रेता व्यापारी से संगत वर्ष 2015-16 में की गयी है। इसी प्रकार सर्वश्री एडीटिव्स

किए गये हैं तथा भुगतान भी बैंक के माध्यम से किये गये हैं। विक्रेता तथा क्रेता के मध्य कोई

दुरभिसंधि भी अभिलेखों से प्रमाणित नहीं होती है। माननीय उच्च न्यायालय ने कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ बनाम संजय स्टील सप्लायर्स (2015)-28 वी०एल०जे० 276 निर्णय दिनांक 17-07-2015 के मामले में यह व्यवस्था दी है कि यदि खरीद किये जाते समय विक्रेता व्यापारी पंजीकृत है तथा समस्त भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया हो और नियमानुसार टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये गये हों तो इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यापारी को अनुमन्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं अधिकरण की पीठों द्वारा दिये गये निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि खरीद की अवधि में यदि विक्रेता व्यापारी पंजीकृत रहा है तथा भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है तब ऐसी स्थिति में कोई आर०आई०टी०सी० नहीं की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के निर्णय (2018)-56 जी०एस०टी० आर०-177 (दिल्ली) क्वेस्ट मर्चेन्डाईजिंग इण्डिया प्रा०लि० बनाम गवर्नमेन्ट ऑफ एन०सी०टी० ऑफ देहली एण्ड अदर्स तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद निम्न निर्णयों में यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि विक्रेता के पंजीकृत रहने की अवधि में टैक्स इन्वाइस से की गयी खरीद तथा बैंक के माध्यम से भुगतान करने पर खरीद पर आई०टी०सी० विधिक प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगी।

उपरोक्त विवेचन, साक्ष्यों एवं तथ्यों के परिशीलन में हमारे विचार से अपीलार्थी द्वारा उक्त विक्रेता व्यापारियों से की गई खरीदों उनके पंजीकृत रहने की अवधि के दौरान की गयी हैं तथा उनसे संबंधित समस्त भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है, नियमानुसार टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये गये हैं, जो उ०प्र० वैट अधिनियम की नियम-21 के अनुरूप पाये जाते हैं। अतः अपीलार्थी व्यापारी की लेखापुस्तकों को मान्यता प्रदान करते हुए इन खरीदों पर समस्त आई०टी०सी० रू० 8,17,641.00 का लाभ अपीलार्थी को अनुमन्य करते हुए अपीलार्थी द्वारा की गयी खरीदों को अपंजीकृत से खरीद मानते हुए एवं खरीद को असत्यापित मानते हुए जो कुल रू० 8,19,140.00 कर आरोपित किया गया है, वह समाप्त किये जाने योग्य है तथा अपवंचित खरीद एवं बिक्री निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में भी पत्रावली पर कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण अतिरिक्त रूप से निर्धारित अपवंचित खरीद रू० 10 लाख एवं अपवंचित बिक्री रू० 12.50 लाख पर अतिरिक्त रूप से आरोपित कुल कर रू० 1,59,750.00 समाप्त किये जाने योग्य है। इसप्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए विवादित कर रू० 17,96,531.00 समाप्त किये जाने योग्य है।

--: आदेश :-

अपीलार्थी व्यापारी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सं०-22/2023 (2015-16) प्रांतीय स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी द्वारा क्लेम की गयी आई०टी०सी० रू० 8,17,641.00 अनुमन्य की जाती है एवं अपंजीकृत से खरीद असत्यापित मानते हुए निर्धारित कुल कर रू० 8,19,140.00 तथा निर्धारित अपवंचित खरीद/बिक्री पर अतिरिक्त रूप से आरोपित कुल कर रू० 1,59,750.00 अर्थात् कुल विवादित कर रू० 17,96,531.00 समाप्त किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा यदि उक्त मद में कोई अधिक धनराशि जमा की गयी हो तो वह उसे नियमानुसार वापिस/समायोजित की जाये।

Sd/  
8/2/23

(अरविन्द मलिक)

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उ०प्र० लखनऊ कैम्प, गाजियाबाद।

दिनांक :: गा०बाद :: 08 फरवरी, 2023.

:: सुनील शर्मा ::

Sd/  
8/2/23

(ओ०पी० सिंह)

सदस्य,

वाणिज्य कर अधिकरण,

गाजियाबाद पीठ-द्वितीय, गाजियाबाद।

73 दिनांक 8/2/23  
प्रतिनिधि निम्नलिखित को प्रेषित-

- (1) वादी
- (2) प्रतिवादी
- (3) कर निर्धारण अधिकरतो
- (4) प्रथम अपील अधिकारी

GK  
व्यापार कर अधिकरण

गाजियाबाद पीठ - द्वितीय

दिनांक 08 फरवरी 2023

Sd/  
8/2/23